ताल-बेताला

शशिकांत गुप्ते,
मोबाइल नं.
78984-88217

आएगा इंकलाब

आज शायर अमीर इमाम के द्वारा रचित निम्न शेर से चर्चा का आग़ाज़ करते हैं।

आंधियों से लड़ रहें हैं कुछ कागज़ के लोग
हम पे लाज़िम है इन लोगों को फौलादी कहें

जब हुकूमत के कानों में जू भी नहीं रेंगती है,तब कागज़ के लोग कागज़ पर अपनी कलम से इंकलान का ऐलान करते हैं। इसी तरह देश की भावी पीढ़ी जो देश का भविष्य है,इस देश के भविष्य के साथ शिक्षा पद्धति खिलवाड़ कर रही है। इम्तिहान की पूर्ण तैयारी करने के बाद जब परीक्षा की घड़ी आती है,तब प्रश्न पत्र आउट हो जातें हैं। ऐसा एक बार नहीं तकरीबन पिछले ना बारह वर्षों में 80 बार हुआ। हाल ही में हृद्दहृ की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने से देश के विभिन्न शहरों से 25 विद्यार्थियों ने खुदकुशी (Suicide) की। और प्रश्न पत्र आउट होने से देश के 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया। मध्यप्रदेश का गौरव कहलाने वालें,जो मधयप्रदेश की व्यापारिक राजधानी है,और जो शहर निरंतर वर्षी से कचरे की सफ़ाई में अव्वल आ रहा है। इसी इंदौर शहर में क्रांतिकारी टंट्या भील की मूर्ति के पास प्रश्न पत्र आउट होने के विरोध में छात्र 1 जुलाई से धरना दे रहें हैं। इन युवाओं की सुध लेने वाला कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने तक नहीं जा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया तो अपने दायित्व को ही भूल गया है। 22 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है,मतलब 22 लाख परिवार आहत है। किसी परिवार में एक ही लड़का हो जो शिक्षा की अनीति से आहत हो और जिसके पालकों ने छात्र के उज्जवल भविष्य के सपने संजोए हो की अपना बेटा बड़ा होकर डॉक्टर,इंजीनियर, एकाउंटेंट,या कुछ बनेगा और हमारे वृद्धा वस्ता का सहारा बनेगा ऐसे पलकों का सपना तो पूरा होने से रहा। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सत्ता को महंगा पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि जब युवा आंदोलित होता है,तब सत्ता को हिलाकर रख।देता है। छात्रों की संख्या को मत गिनो,छात्रों के हौसले को देखो।

धरने पर बैठे छात्रों के हौसले इतने बुलंद है कि छात्र और छात्रा अपने वक्तव्य निर्भीक होकर कह रहें हैं कि हम जिंदा क़ौम है,हम धारा के विपरीत चलने का जज्बा रखते हैं। छात्रों ने विशेष बात कही वह है कि छात्र गांधीजी के रास्ते पर चल कर आंदोलन करेंगे। पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन होगा। अंत में प्रसिद्ध शायर स्व.राहत इंदौरी द्वारा रचित निम्न शेर प्रस्तुत है जो प्रासंगिक हैं।

शाख़ों से टूट जाएँ वो पत्ते नहीं हैं हम
आँधी से कोई कह दे कि औक़ात में रहे

डीजीपी के अल्टीमेटम के बाद पुलिस विभाग में तेजी

4 हजार कर्मचारियों के प्रमोशान के आदेश जारी

भोपाल । मध्य प्रदेश पुलिस में करीब एक दशक से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ने लगी है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के सख्त अल्टीमेटम का असर अब प्रदेशभर में साफ दिखाई देने लगा है।

अधिकांश जिलों और पुलिस रेंजों ने आरक्षक से प्रधान आरक्षक तथा प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) तक के प्रमोशन आदेश जारी कर दिए। दिलचस्प बात यह रही कि कई आदेश 11 जुलाई की बैक डेट में जारी किए गए। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम तक प्रदेश के करीब 36 जिलों और विभिन्न रेंजों में लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों के पदोन्नति आदेश जारी किए जा चुके थे। इसके साथ ही पीएचक्यू की कई शाखाओं में कार्यरत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और लिपिकीय स्टाफ की भी प्रमोशन सूची जारी कर दी गई। गत दिवस डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सभी आईजी, डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दो दिनों के भीतर लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर सूची जारी की जाए। इसके बाद पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों तक लगातार बैठकें हुईं और लंबित फाइलों का तेजी से निपटारा किया गया। सूत्रों का कहना है कि कई जिलों में प्रक्रिया पहले से तैयार थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से आदेश जारी नहीं हो पा रहे थे। डीजीपी के निर्देश के बाद सभी इकाइयों ने प्राथमिकता के आधार पर आदेश जारी किए।

16 हजार पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ

वर्ष 2016 में पदोन्नति प्रक्रिया रुकने के बाद से हजारों पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। अब विभागीय प्रक्रिया पूरी होने पर करीब 16 हजार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने की संभावना है। फिलहाल आरक्षक से प्रधान आरक्षक और प्रधान आरक्षक से एएसआई तक की सूची अधिकांश स्थानों पर जारी हो चुकी है, जबकि एएसआई से एसआई और एसआई से निरीक्षक पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

जांच और कोर्ट केस बने

देरी की वजह

पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच या न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने के कारण उनकी पदोन्नति सूची अभी रोकी गई है। ऐसे मामलों की अलग-अलग समीक्षा की जा रही है ताकि नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जा सके। इधर सूबेदार से रक्षित निरीक्षक पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इससे लंबे समय से कार्यवाहक पद पर कार्य कर रहे अधिकारियों को नियमित पदोन्नति मिल गई है और उनके पदनाम के आगे से कार्यवाहक शब्द हट जाएगा।

आबकारी विभाग में भी 10 साल बाद प्रमोशन

केवल पुलिस विभाग ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में भी एक दशक बाद पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। सोमवार को विभाग ने 9 कैडर के 533 कर्मचारियों के प्रमोशन आदेश जारी किए। इनमें 38 मुख्य आरक्षक उपनिरीक्षक बने, 279 आरक्षक मुख्य आरक्षक पद पर पदोन्नत हुए, 7 मुख्य लिपिक सहायक अधीक्षक बने, 3 स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 को ग्रेड-2 में पदोन्नति मिली, 71 सहायक ग्रेड-3 को सहायक ग्रेड-2 बनाया गया, 42 लेखापाल मुख्य लिपिक बने, 42 भृत्य सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नत हुए, 60 भृत्य दफ्तरी बने और 1 दफ्तरी को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति दी गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार अगले दो दिनों में उपनिरीक्षक से एडीईओ, एडीईओ से डीईओ, डीईओ से सहायक आयुक्त तथा सहायक आयुक्त से उप आयुक्त पदों की पदोन्नति सूची भी जारी होने की संभावना है।

लंबे इंतजार का अंत

करीब दस वर्षों से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। कर्मचारियों का मानना है कि इससे न केवल उनके करियर को गति मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी। अब सभी की नजर इस सप्ताह जारी होने वाली शेष पदोन्नति सूचियों पर टिकी है, जिनसे हजारों कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिलने की उम्मीद है।

बुवाई का काम ठप और अंकुरित पौधे झुलसे

कम बारिश और बढ़ते तापमान से खरीफ फसलों पर संकट

भोपाल । मप्र में इस बार कम वर्षा से वर्तमान में खरीफ की फसल की बुवाई से लेकर बोई गई फसल पर संकट के बादल छा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में तकरीबन न के बराबर वर्षा होने की बात कही है। यदि वर्षा का यह अंतराल लंबा हो जाता है तो प्रदेश की धान के साथ-साथ ज्वार, बाजरा सहित अन्य फसलों की बुवाई के लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि कृषि विभाग ने किसानों के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी की थी और इस बार कम वर्षा का अंदेशा जताते हुए कम पानी की फसलों की बुवाई करने के लिए कहा था।

यहां बता दें कि इस बार मानसून सात दिन की देरी से आया और जुलाई माह में जिस तरह से प्रदेश में वर्षा होती थी, उस तरह से नहीं हुई। ऐसे में खरीफ की फसल की बुवाई का काम पहले से ही धीमा था, लेकिन पिछले कुछ दिन से तकरीबन वर्षा गायब हो गई, बल्कि मौसम विभाग ने भी तकरीबन एक सप्ताह तक वर्षा न होने व मौसम के शुष्क रहने के साथ तापमान में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। धान के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। लेकिन इस बार कम वर्षा होने से धान की रोपाई अभी तक कम हो पाई है। चूंकि आगामी सात से आठ दिन तक वर्षा होने की संभावना कम है। इसलिए भी रोपाई का काम प्रभावित हो रहा है।

भोपाल में 16 जुलाई को जिला बार चुनाव की वोटिंग

भोपाल । भोपाल के अधिवक्ताओं ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए उसे वोट करेंगे जो बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देगा। सभी ने कहा कि जिला अदालत में नए वकीलों के बैठने से लेकर कई समस्याएं हैं। पार्किंग की भी एक बड़ी समस्या है। कई जगह पर पानी की भी दिक्कत है। जो इन समस्याओं के शामिल करेगा वही जीतेगा। महिला वकीलों ने कहा कि जिला अदालत में साफ-सफाई की भी दिक्कत है। टॉयलेट भी साफ नहीं रहते हैं। नए वकील जो जुड़ रहे हैं उनके स्टाइपेंड भी नहीं मिलता कई परेशानी यहां हैं। उन्होंने कहा कि जो इन समस्याओं के दूर करने की कोशिश करेगा उसे ही वोट करेंगे। दरअसल, जिला अदालत में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। 16 जुलाई को वोटिंग है। करीब 6 हजार वकील चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। सचिव पद के लिए 4 वकीलों ने नामांकन भरा है। 8 पदों के लिए कुल 100 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। वहीं, नतीजे 17-18 जुलाई को घोषित होंगे। इस बार चुनाव में कई युवा अधिवक्ता भी शामिल हैं जो बार जिला अभिभाषक संघ के चुनावों में पहली बार हिस्सा लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी सीटिंग की जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। भोपाल में बार में लगभग 10 हजार वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं।

जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को मंजूरी

मध्य प्रदेश कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

भोपाल । मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में जीएसटी व्यवस्था में सुधार, पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को डिजिटल बनाने, टेक होम राशन वितरण की नई व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग-उड़द खरीदी के लिए ऋण गारंटी जैसे अहम फैसले लिए गए। अपील के अधिकारी के फैसले को चुनौती देने के लिए कैबिनेट ने राज्य में जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को मंजूरी दी।

इसमें यदि अपील के अधिकारी के निर्णय में कोई त्रुटि रह जाए या कोई आवश्यकता हो तो वह अपीली बोर्ड के सामने जा सकेगा। इसके साथ ही जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाने का भी निर्णय लिया गया। यह एक तकनीकी मुद्दा है। अभी क्रेडिट दी जाती है उसमें पूर्व का एग्रीमेंट और कई चीजें मांगी जाती थी। अब उसका सरलीकरण किया है। अभी जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें जो इनपुट क्रेडिट लगता है, उसका नब्बे प्रतिशत तक रा उद्यमों को जल्द से जल्द प्राप्त होगी। इसमें पूराने चीजें मांगी जाती थी। यह दो अमेडमेंट जीएसटी के अंदर किए हैं। 6 माह से तीन वर्ष के बच्चों को टेक होम राशन प्रदान किया जाता था। यह राशन आजीविका मिशन के पांच से छह केंद्रों से बनता था। अब कैबिनेट ने फैसला किया कि अब टेक होम राशन (टीएचआर) का निर्माण और संचालन पूरी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से होगा। राशन तैयार करने का काम महिला स्व-सहायता समूहों को ही दिया जाएगा, जो पहले से ही आंगनवाड़ियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से संचालित टेक होम राशन प्लांटों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। अभी तक इन्हीं प्लांटों से राशन की आपूर्ति की जाती थी। गुणवत्ता और वितरण संबंधी लगातार शिकायतें आ रही थी। इसके लिए नए मानक लागू किए जाएंगे।

कांग्रेस हर विषय को देखती है वोट बैंक के नजरिए से : मुख्यमंत्री

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब कांग्रेस को भी इस विषय पर अपना स्पष्ट रुख बताना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी हो या भोजशाला का मुद्दा, कांग्रेस हर विषय को हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों ने यूसीसी पर खुलकर अपने विचार रखे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने 13 जुलाई को अपना अंतिम प्रतिवेदन सौंपा। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर और सदस्य सचिव अजय कटेसरिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है। पहले खंड में समिति की अनुशंसाएं शामिल हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू विभिन्न कानूनों एवं परंपराओं का विश्लेषण करते हुए सुझाव दिए गए हैं। इस भाग में कुल 10 अध्याय शामिल हैं।

रिपोर्ट के दूसरे खंड में प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप दिया गया है। समिति ने मध्यप्रदेश में प्रचलित कानूनों और नियमों को ध्यान में रखते हुए विधेयक का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक में चार भाग, 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं। रिपोर्ट के तीसरे खंड में जन-परामर्श का विस्तृत विवरण दिया गया है। समिति ने जिला स्तर, राज्य स्तर और वेबसाइट के माध्यम से व्यापक सुझाव आमंत्रित किए थे।

रेल वन ऐप पर दिखने वाला डिजिटल टिकट ही मान्य

रेलवे में मोबाइल पर टिकट का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ नहीं चलेगा, रेलवे का आया नया रुल

भोपाल । अगर आप ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। ट्रेन में यात्रा के दौरान अभी तक यात्री टीटीई को मोबाइल पर टिकट का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ फाइल या वाट्सएप पर फारवर्ड किए गए मैसेज दिखाते थे, टीटीई इसे मान्य कर लेता था।

लेकिन अब रेलवे ने नियम बदल दिया है। रेलवे ने अनारक्षित टिकट के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए साफ किया है कि रेल वन से बुक किए गए टिकट ही वैध माने जाएंगे। अगर कोई कोई यात्री टिकट की फोटोकापी, स्क्रीनशॉट या किसी इससे जुड़ा कुछ और प्रूफ दिखाता है तो इसे अवैध माना जाएगा। इस हालत में रेलवे जुर्माना वसूलेगा।

रेलवे को कई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि यात्रा के दौरान कुछ लोग एक ही टिकट का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ अलग-अलग मोबाइल पर फारवर्ड कर कई संबंधित लोगों को यात्रा करवा रहे हैं। इससे रेलवे को नुकसान हो रहा है। इससे धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसलिए रेलवे ने साफ किया है कि अब केवल ओरिजिनल रेल वन एप टिकट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ही माना जाएगा।

ट्रेन छूटने से पहले लेनी होगी टिकट

भोपाल रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक और जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया चेकिंग के दौरान केवल ऐप पर दिखने वाला ओरिजिनल डिजिटल टिकट ही मान्य होगा। किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ या व्हाट्सएप कॉपी दिखाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि यात्रियों को यह डिजिटल टिकट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से पहले ही खरीदना होगा, क्योंकि ट्रेन चलने के बाद की गई कोई भी बुकिंग पूरी तरह अमान्य मानी जाएगी।

अनारक्षित टिकट के दो विकल्प

नवल अग्रवाल का कहना है कि रेलवे ने रेल वन पर अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए दो विकल्प दिए हैं। इनमें एक विकल्प प्रिंट वाले टिकट का है। दूसरा विकल्प प्रिंटलेस टिकट का है। यदि आप प्रिंट का विकल्प चुनते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर में जाकर अपने ऐप पर प्रिंट वाला टिकट दिखाकर वहां से प्रिंटआउट ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने प्रिंट लेस का विकल्प चुना है, तो ऐसे में यात्रा के दौरान आपको वही मोबाइल साथ में रखना पड़ेगा जिसमें रेल वन ऐप है और जिस टिकट बुक किया गया है।

5 अगस्त से भोपाल में ब्रिक्स का महाकुंभ

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अगले महीने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। 5 से 8 अगस्त तक यहां तीसरी ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप, ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि संस्कृति, तकनीक और वैश्विक चुनौतियों से जुड़े अहम विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शिवेंद्र मिश्रा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरक्षा, परिवहन, आवास, आतिथ्य, स्वच्छता और विभागीय समन्वय सहित सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि यह आयोजन भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है। इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने दें। देश-विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। आयोजन के तहत 5 और 6 अगस्त को तीसरी ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इसके बाद 6 और 7 अगस्त को ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। वहीं 7 और 8 अगस्त को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी।

पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रदर्शन

एसयूसीआई का ऐलान-अब लाखों युवाओं को सडक़ों पर उतारेंगे

भोपाल। पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मंगलवार को भोपाल के नीलम पार्क में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों से लेकर किसान, मजदूर, महिलाएं और कर्मचारी तक परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीर नहीं है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। एसयूसीआई ने इसे राज्यव्यापी विरोध दिवस बताते हुए दावा किया कि प्रदेश के अलग-अलग जिला मुख्यालयों पर भी धरने और प्रदर्शन किए गए। पार्टी सदस्य सतीश ओझा ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 9 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं। परीक्षा रद्द होने और धांधली से युवाओं पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। ओझा ने कहा कि सडक़, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तक भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी।

मांगें नहीं मानीं तो भोपाल में होगा बड़ा प्रदर्शन

एसयूसीआई ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सतीश ओझा ने कहा कि पार्टी लाखों छात्र और नौजवानों को सडक़ों पर उतारने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और अन्य मांगों पर विचार नहीं हुआ तो प्रदेशभर से लोगों को भोपाल बुलाकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

स्कूल-कॉलेज के बाहर शराब दुकानें, बेटियां कैसे बचेंगी

पार्टी की आरती शर्मा ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल-कॉलेजों के आसपास शराब दुकानें संचालित हो रही हैं और नशे का कारोबार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है, दूसरी तरफ महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कार्टून कोना....

स्वामी मेसर्स एसोसिएटेड प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (एम.पी.) प्रा.लि. इंदौर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मोनिका सेठ द्वारा 17, न्यू देवास रोड (संजय गांधी मार्ग) इंदौर से मुद्रित एवं 5, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित संपादक-मोनिका सेठ,
फोन नं. 3551753, 2434701, 2544433, समाचार पत्र से प्रकाशित समाचार के लिए सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा। समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार*